

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/प्रशा. शहरों/अभियान/प.1(71)/ ३११ दिनांक : २२/१/१४

—:: कार्यालय आदेश ::—

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा विगत वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं मध्यम आय वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 31.12.2013 तक छूट प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। इसी क्रम में मण्डल कार्यालय आदेश क्रमांक 207 दिनांक 27.01.2010 की निरन्तरता में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 274 दिनांक 04.10.2013 की निरन्तरता में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अब दिनांक 17.01.2014 को जारी आदेशानुसार आवेदक द्वारा दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.03.2014 अथवा लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु जारी किये गये हैं।

इसी क्रम में मण्डल स्तर पर भी मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 31.03.2014 अथवा लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो तक छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि | : | 31.01.2014 |
| मांग पत्र जारी करने की अंतिम तिथि | : | 14.02.2014 |
| मांग राशि जमा करने की अंतिम तिथि | : | 31.03.2014 / अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो |

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख निजी सचिव- अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक विधि, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय पी.एण्ड.एम./निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
9. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत रा. आ. म.
11. आवासीय अभियन्ता, राज.आवा. म.
12. लेखाधिकारी(वसूली)/सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत
13. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. सी. चौधरी)
वित्तीय सलाहकार